

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 169 / 2025

सत्र 2025–2027 के लिये राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं उस संस्थान में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये तृतीय चयन सूची (Third Selection List) के संबंध में आवश्यक सूचना

राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त इण्टरस्तररी शिक्षण संस्थानों में सत्र 2025–2027 में इण्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System For Students (OFSS) प्रणाली से नामांकन हेतु समिति द्वारा दिनांक 04.06.2025 को प्रथम चयन सूची (First Selection List) जारी की गयी थी। प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 15.07.2025 को द्वितीय चयन सूची जारी की गयी, जिसके आधार पर दिनांक 19.07.2025 तक नामांकन लिया गया है। इसी क्रम में दिनांक 28.07.2025 को तृतीय चयन सूची जारी की जा रही है।

2. नामांकन की अवधि में सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा सभी शिक्षक/कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो इन विद्यालयों के नामांकन संबंधित सभी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि नामांकन कार्य में पर्याप्त संख्या में काउण्टरों की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं की जानी हैं, अतः यह आवश्यक है कि इंटर कक्षाओं में नामांकन हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।

3. OFSS के माध्यम से मान्यता प्राप्त उपर्युक्त श्रेणी के शिक्षण संस्थानों में तृतीय चयन सूची का निर्माण निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया गया है :-

(i) शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में द्वितीय चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् रिक्त/उपलब्ध सीटों की संकायवार कुल संख्या

(ii) विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर किये गये ऑनलाईन आवेदन (CAF) में भरे गये शिक्षण संस्थान/संकाय का विकल्प

(iii) विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत

(iv) आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान

(v) वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि 12वीं की पढ़ाई हेतु विकल्पों में अपने मूल शिक्षण संस्थान (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है), का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गई है, अर्थात् यदि उनको अपने मूल संस्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है, तो उनका चयन यथासंभव अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा। यह प्रावधान उस संस्थान में संबंधित संकायवार सीटों की उपलब्ध संख्या, आवेदनकर्ता के प्राप्तांक प्रतिशत एवं आरक्षण कोटि के आधार पर ही मान्य होगा। उदाहरणस्वरूप अगर किसी विद्यार्थी ने अपने विद्यालय का विकल्प, जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, को छोड़े स्थान पर दिया है और उनका चयन उनके मेधा एवं आरक्षण के आधार पर आठवें नम्बर के विकल्प में होता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें छोड़े नम्बर के अपने मूल संस्थान में नामांकन के लिए चयनित किया जायेगा, परन्तु अगर ऐसे विद्यार्थी का चयन तीसरे विकल्प (जो छोड़े विकल्प से ऊपर है) के संस्थान हेतु होता है, तो उस स्थिति में उनका चयन तीसरे विकल्प में दिये गये संस्थान में नामांकन के लिए चयनित किया जायेगा। किन्तु किसी भी संस्थान के लिए यह प्रावधान उनकी अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या के अन्तर्गत ही अनुमान्य है। अर्थात् यदि किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या (आरक्षण श्रेणीवार) से अधिक उसी संस्थान के विद्यार्थियों के इण्टर में नामांकन के लिए आवेदन दिया है तो वैसे स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में ऊपर से सीमित संख्या (अधिकतम सीट क्षमता के अनुसार) का ही इस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर इस सूची में नामांकन किया जाएगा - शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में नीचे हैं) को उनका वह संस्थान नहीं दिया गया है - बल्कि उनके मेधा क्रम एवं उनके द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर उनका संस्थान आवंटित किया गया है।

4. अतः सत्र 2025–2027 के लिये इण्टरस्तररी शिक्षण संस्थान कक्षा में नामांकन हेतु जो आवेदन पत्र जमा किया गया था, उसमें विद्यार्थियों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार नामांकन हेतु जिन शिक्षण संस्थानों का विकल्प दिया गया था, उनमें से भरे गये प्राथमिकता के आधार पर तथा 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत (%), आरक्षण कोटि एवं मूल संस्थान के संबंध में उपर्युक्त कड़िका-3 (v) के प्रावधान (यदि लागू हो तो) के आलोक में समिति द्वारा दिनांक 28.07.2025 को इण्टर में नामांकन हेतु तृतीय चयन सूची (Third Selection List) जारी की जा रही है तथा उक्त सूची को संबंधित शिक्षण संस्थानों को उनके Login ID पर भेज दिया गया है। शिक्षण संस्थानों के अलग-अलग संकायों का Cut Off Percentage (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति की वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर दिनांक 28.07.2025 को जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही तृतीय चयन सूची में चयनित सभी आवेदनकर्ताओं को उनके Login ID पर (Intimation Letter) भी निर्गत किया गया है, जिसे वे OFSS वेबसाइट पर अपना User ID एवं Password अंकित कर देख सकते हैं तथा Reference ID/Barcode No. एवं अपना मोबाईल नं० के साथ Download कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनित अभ्यर्थियों को SMS भी भेजा गया है।

5. इण्टरस्तररी शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु निम्नांकित तीन श्रेणी के विद्यार्थी हो सकते हैं :-

(क) वैसे विद्यार्थी, जिनका चयन प्रथम/द्वितीय चयन सूची (First/Second Selection List) में हुआ था एवं Slide Up के बाद तृतीय चयन सूची में अन्य शिक्षण संस्थान हेतु चयन किया गया है।

(ख) वैसे विद्यार्थी, जिनका चयन प्रथम/द्वितीय चयन सूची (First/Second Selection List) में नहीं हुआ था परन्तु तृतीय चयन सूची में हुआ है।

(ग) वैसे विद्यार्थियों के लिये, जिनका चयन तृतीय चयन सूची (Third Selection List) में नहीं हुआ है।

(क) वैसे आवेदकों के लिये, जिनका चयन प्रथम/द्वितीय चयन सूची (First/Second Selection List) में हुआ एवं Slide Up के बाद तृतीय चयन सूची में अन्य शिक्षण संस्थान हेतु चयन किया गया है :-

(i) वैसे विद्यार्थी, जिन्होंने प्रथम/द्वितीय चयन सूची के आधार पर आवंटित शिक्षण संस्थान में नामांकन लिए थे, को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा Slide Up के लिये किये गये अनुरोध के आधार पर उनका तृतीय चयन सूची (Third Selection List) में उच्चतर प्राथमिकता वाले अन्य संस्थान/संकाय में चयन किया गया है। अतः उनका प्रथम/द्वितीय चयन सूची के दौरान आवंटित शिक्षण संस्थान में लिया गया नामांकन (Admission) को रद्द (Cancel) कर दिया गया है तथा उनकी सीट को दूसरे योग्य विद्यार्थी को आवंटित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की गयी है। अतः ऐसे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे तृतीय चयन सूची में आवंटित शिक्षण संस्थान में अपना नामांकन दिनांक 28.07.2025 से 31.07.2025 के दौरान अवश्य करा लें।

अगर उनके द्वारा उक्त निर्धारित अवधि के दौरान नामांकन नहीं कराया जाता है तो उनका अभ्यर्थित रद्द कर दिया जायेगा। सूचित किया जाता है कि तृतीय चयन सूची के पश्चात् OFSS के माध्यम से कोई अन्य चयन सूची जारी नहीं की जायेगी।

(ii) इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप OFSS Website पर उपलब्ध सभी संस्थानों का तृतीय सूची का कट-ऑफ मार्क्स (Third List Cut Off) देख सकते हैं।

(ख) वैसे आवेदकों के लिये, जिनका चयन प्रथम/द्वितीय चयन सूची (First/Second Selection List) में नहीं हुआ था, परन्तु तृतीय चयन सूची में हुआ है:-

(i) ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे तृतीय चयन सूची में आवंटित शिक्षण संस्थान में अपना नामांकन दिनांक 28.07.2025 से 31.07.2025 के दौरान अवश्य करा लें। अगर उनके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा। तृतीय चयन सूची के पश्चात् OFSS के माध्यम से कोई अन्य चयन सूची जारी नहीं की जायेगी।

(ii) इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु वे OFSS Website पर उपलब्ध सभी संस्थानों के सभी संकायों का तृतीय सूची कट-ऑफ (Third List Cut Off) देख सकते हैं।

(ग) वैसे आवेदकों के लिये, जिनका चयन तृतीय चयन सूची (Third Selection List) में नहीं हुआ है, के लिये आवश्यक सूचना :-

(i) तृतीय चयन सूची (Third Selection List) में कुछ विद्यार्थियों का चयन नहीं हो सका है, क्योंकि उनके द्वारा नामांकन के लिये शिक्षण संस्थानों का जो विकल्प भरा गया था, उसमें से उनके अंक प्रतिशत के आधार पर उनके द्वारा दिये गये विकल्प (Choice) में संभव नहीं हुआ है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थियों द्वारा OFSS Website पर उपलब्ध सभी संस्थानों के सभी संकायों का तृतीय सूची कट-ऑफ (Third List Cut Off) देखा जा सकता है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि जिन-जिन संस्थानों/संकायों का विकल्प (Choice) उनके द्वारा भरा गया था, उन सभी संस्थानों/संकायों का कट-ऑफ अंक संबंधित विद्यार्थी के अंक से ज्यादा है।

(ii) अतः ऐसे विद्यार्थी तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने का इंतजार करें। तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के लिए समिति द्वारा अवसर प्रदान किया जायेगा। समिति द्वारा Spot Admission के संबंध में विज्ञप्ति बाद में प्रकाशित की जायेगी।

6. नामांकन करने के लिये आवेदन करते समय विद्यार्थियों से कुल 350/- रूपये आवेदन शुल्क लिया गया था, जिसमें 150/- रूपये आवेदन शुल्क एवं 200/- रूपये संस्थान शुल्क था। अतः सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सूची के नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके संस्थानों में होगा उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200/- रूपये प्रति नामांकित विद्यार्थी की दर से कुल राशि समिति उन संस्थानों को भेज देगी। अतः कोई भी शिक्षण संस्थान किसी विद्यार्थी से जिन्होंने ऑनलाईन भुगतान कर दिया है, से आवेदन शुल्क (Application Fee) नहीं लेंगे सिर्फ नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं नियमानुसार अन्य शुल्क (Other Applicable Fee) ही लेंगे।

7. उल्लेखनीय है कि प्रथम नामांकन के पश्चात् कुछ विद्यार्थियों को तृतीय चयन सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हुआ हो, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। अतः इस आलोक में OFSS के अन्तर्गत नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित सामान्य निदेश (General Instructions) दिया जाता है :-

(i) OFSS के अन्तर्गत किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाये।

(ii) तत्पश्चात् यदि किसी विद्यार्थी का प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जाये।

(iii) पूरी चयन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय चयन सूची के अनुसार नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि की निम्नरूपेण समीक्षा की जायेगी :-

(क) अगर नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त कर ली गयी है।

(ख) अगर यह नामांकन द्वितीय अथवा तृतीय है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय कितनी राशि जमा की गयी है। अगर यह राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि विद्यार्थी को पूर्व के नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अन्दर वापस लौटा दी जाये और अगर पूर्व के संस्थान द्वारा लिया गया नामांकन शुल्क अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से कम है, तो उसनी अतिरिक्त राशि विद्यार्थी से अंतिम नामांकित संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया जाये। साथ ही विद्यार्थी के पूर्व नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अन्दर उस विद्यार्थी से प्राप्त किये गये नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस कर दी जाये।

8. नामांकन हेतु छात्रों/छात्राओं के लिये आवश्यक निदेश :-

OFSS Website से अपना सूचना प्रपत्र (Intimation Letter) की प्रति प्राप्त करने के लिये अपना Common Application Form की प्रति एवं अपना मोबाईल संख्या जो उन्होंने Common Application Form भरने के समय उपयोग किया है, अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

• सर्वप्रथम आवेदक किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से OFSS के वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर जायेंगे

• उसके पश्चात् आवेदक होम पेज पर दिये गये लिंक "इण्टरमीडिएट कक्षा में अपने चयन एवं नामांकन से संबंधित शिक्षण संस्थान एवं संकाय" की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिये लिंक पर क्लिक करेंगे।

• क्लिक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आवेदक को अपना Application Reference No./Barcode No. एवं जिस मोबाईल नम्बर के माध्यम से उन्होंने Common Application Form भरा है, उसे सही-सही भरेंगे।

• आगे बढ़ने के पहले आवेदक अपने द्वारा भरी गयी सभी सूचना पुनः जाँच लेंगे कि सूचनाएँ सही भरी गयी हैं।

• वांछित सूचना अंकित करने के पश्चात् आवेदक चयनित संबंधित शिक्षण संस्थान एवं संकाय देख पायेंगे।

• उसके पश्चात् आवेदक Download Intimation Letter लिंक पर क्लिक करके अपना सूचना प्रपत्र (Intimation Letter) डाउनलोड कर लेंगे।

• सूचना प्रपत्र (Intimation Letter) एवं सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) का प्रिंट आउट सहित सभी अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, संबंधित प्रमाण पत्रों की दो-दो प्रतिलिपियाँ एवं अपना 06 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आवंटित शिक्षण संस्थान के प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन करायेंगे।

9. आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि OFSS वेबसाइट <https://ofssbihar.net> के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तैयार किये गये OFSS Bihar Info नामक Mobile APP से भी इण्टरस्तररी शिक्षण संस्थानों में नामांकन संबंधी विविध सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। Mobile APP के लिए विद्यार्थियों को Google Play Store से OFSS Bihar Info नामक APP डाउनलोड करना होगा। इस एप्प (OFSS Bihar Info) को डाउनलोड करने के पश्चात् विद्यार्थी अपने मोबाईल में User ID एवं Password से Login करेंगे। लॉगिन करने हेतु यूजर आई0डी0 Tab पर अपना मोबाईल संख्या अंकित करना होगा एवं मोबाईल पर पूर्व में प्राप्त पासवर्ड को Tab पर दर्ज करने के बाद विद्यार्थी नामांकन संबंधी सामान्य आवेदन पत्र (CAF), सूचना प्रपत्र (Intimation Letter), इत्यादि नामांकन संबंधी सूचना देख सकते हैं।

10. संस्थानों के प्रधानाचार्यों के लिये आवश्यक निदेश :-

(i) जिस संस्थान में विद्यार्थी नामांकन के लिये उपस्थित हुआ है, उस संस्थान के Admission Incharge को वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर Login करके यह सुनिश्चित करना होगा कि उस विद्यार्थी का नामांकन वेबसाइट के माध्यम से पोर्टल पर Update हो गया है। इसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी :-

• किसी भी वेब ब्राउजर से <https://ofssbihar.net> वेबसाइट खोलें।

• खोलने के पश्चात् "Portal Login" लिंक पर क्लिक करें।

• "Portal Login" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें संस्थान का User ID एवं Password भरना होगा। भरने के पश्चात् Login बटन पर क्लिक करना होगा।

• यदि संबंधित संस्थान का User ID एवं Password नहीं मिला है तो वे अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करके User ID एवं Password ले सकते हैं।

• Login करने के पश्चात् संबंधित प्राचार्य को अपने डैशबोर्ड में बाईं तरफ "Admission" लिंक दिखाई देगा। वे "Admission" लिंक पर क्लिक करें।

• "Admission" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् "Admission Update" पर क्लिक करें एवं Drop Down में से संबंधित संकाय एवं विषय चुन लें।

• उसके पश्चात् संबंधित आवेदक का Reference No. चुनकर उसके सामने वाले चेक बॉक्स में क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात् "Click to Save" बटन पर क्लिक करें।

• "Click to Save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात् OK बटन पर क्लिक करें।

• OK बटन पर क्लिक करने के पश्चात् संबंधित आवेदक का नामांकन OFSS Portal में अंकित हो जायेगा और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उस आवेदक का नामांकन उस संस्थान में हो गया है।

• उपर्युक्त प्रक्रियाओं को अपना संस्थानों के लिये अति आवश्यक है, क्योंकि OFSS Website में आवेदक का नाम दर्ज हो जाने पर ही वह सीट भरा हुआ माना जायेगा।

(ii) तृतीय चयन सूची (Third Selection List) के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 28.07.2025 से 31.07.2025 तक आवंटित शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाना है। अतः संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS Website के संस्थान Login में दिनांक 28.07.2025 से 31.07.2025 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन Update करते रहें। दिनांक 28.07.2025 के नामांकित विद्यार्थियों का Update अधिकतम दिनांक 29.07.2025 तक, दिनांक 29.07.2025 के नामांकित विद्यार्थियों का Update अधिकतम दिनांक 30.07.2025 तक, दिनांक 30.07.2025 के नामांकित विद्यार्थियों का Update अधिकतम दिनांक 31.07.2025 तक एवं दिनांक 31.07.2025 के नामांकित विद्यार्थियों का Update अधिकतम दिनांक 01.08.2025 तक करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा करना इसलिए अनिवार्य है ताकि संबंधित विद्यार्थी, जिसका नामांकन संस्थान ने ले लिया है, उसकी सीट OFSS Website में भरी हुई मानी जाये एवं तृतीय एवं अंतिम चयन सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संस्थानों में स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु रिक्त सीटों की सूची OFSS Website के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

(1) तृतीय चयन सूची के आधार पर :-

(i) नामांकन की तिथि :- दिनांक 28.07.2025 से 31.07.2025 तक

(ii) संस्थान द्वारा OFSS Website <https://ofssbihar.net> में Login कर सीट अद्यतन किये जाने की अंतिम तिथि :- दिनांक 01.08.2025 तक

(2) Spot Admission की सूचना बाद में दी जायेगी।

11. अगर उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो हेल्पलाईन दूरभाष संख्या 0612-2230009 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संयुक्त सचिव (OFSS)